

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या – डी.ई.-25(13)/385/एल.डब्ल्यू./2021-22/2353-2354

दिनांक – 01.01.2022

सेवा में,

✓ श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।

विषय- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 08, दिनांक – 03.01.2022 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 08 (100 प्रतियाँ), जो कि दिनांक-03.01.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

अशोक कुमार
01/01/22
(अशोक कुमार)
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)

संख्या – डी.ई.-25(13)/385/एल.डब्ल्यू./2021-22/2353-2354

दिनांक 01.01.2022
ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 को 150 प्रतियाँ अलग-अलग एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

नीरज छतवाल
1.1.2022
(नीरज छतवाल)
अनुभाग अधिकारी (विधायी कार्य शाखा)
Section Officer
(L.W. Branch)
Dte. of Education
Old Sectt., Delhi-110054

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग
विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054


अतारांकित प्रश्न संख्या :- 08

दिनांक :- 03.01.2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अभय वर्मा

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली सरकार के किस-किस विद्यालय में कौन-कौन से और कितनी लागत के विकास कार्य चल रहे हैं;	जी.जी.एस.एस.एस., ललिता पार्क में रिसोर्स सेंटर (CWSN) 3 कमरों, 2 टॉयलेट, रैंप, रेलिंग इत्यादि के निर्माण के लिए expenditure sanction Rs. 90,40,223/- के लिए दी गई है।
ख)	कार्यों का अलग-अलग विवरण कार्य एजेंसी सहित पूर्ण विवरण दे;	कार्य पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किया जा रहा है।
ग)	क्या विद्यालय प्रबंधन समिति में कोई विधानसभा को-ऑर्डिनेटर पद का प्रावधान है;	नहीं है।
घ)	यदि हां, तो किस नियम के तहत है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
ड.)	यदि नहीं, तो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन विधानसभा को-ऑर्डिनेटर नामित व्यक्ति को एसएमसी की बैठक में बुलाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने का प्रावधान है;	दिल्ली राजपत्र भाग-4 में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या - शि.नि./23 (462)/स्कू.शा. /10/17-33, दिनांक - 23.11.2011 के भाग-2 (विद्यालय प्रबंध समिति) में प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि उक्त अधिसूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करें।
च)	क्या एसएमसी में किसी पार्टी के सक्रिय सदस्य को सोशल वर्कर के तौर पर सदस्य बनाया जा सकता है, और यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है और उसकी पात्रता क्या है?	परिपत्र संख्या - एफ.23(6)/डीई/आर.टी.ई./2011/520-533 दिनांक - 25.03.2013 के अनुसार सदस्य नियुक्त किए जाते हैं।


ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054